सील किये गये दो बारात घर

इलाहाबाद (डीएनएन)। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण दस्ते ने गुरुवार को जोन संख्या एक के अन्तर्गत आने वाले एडीए कॉलोनी नीम सराय योजना में कार्यवाही करते हुये वहां तीन अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिये। इसके अलावा दो बारात घर भी सील किये गये। जोनल अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय की अगुवाई में कार्यवाही करते हुये दस्ते ने नीम सराय आवास योजना के ईडब्ल्यूएस भूखण्ड संख्या 171, 172, 173 भूखण्डों पर हुये निर्माण ध्वस्त कर दिये। इसके अलावा प्राधिकरण के अन्य भूखण्डों पर बरजा बनाकर किये गये निर्माण को भी दस्ते ने ध्वस्त कर दिया गया। उक्त आवास योजना के फेज दो में

• एडीए कॉलोनी में अवैध निर्माण जमींदोज

व्यावसायिक भूखण्डों पर लगभग 500 वर्गमीटर में निर्मित बाउण्ड्रीवाल तोड़कर प्राधिकरण ने अपनी सम्पत्ति पर हुये अवैध कब्जे को भी खाली कराया। प्राधिकरण अफसर उक्त भूमि की कीमत करोड़ों रुपए में आंक रहे हैं। ध्वस्तीकरण अभियान के साथ ही दस्ते ने यहां अवैध तरीके से दो बारात घर भी सील कर दिये। अभियान में अवर अभियन्ता राज कुमार शर्मा, भवन निरीक्षक योगेन्द्र राय, कुंवर आनन्द सिंह, रामाश्रय दुबे एवं थाना धूमनगंज से पुलिस एवं प्रवर्तन दल के सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा एडीए सभागार में गुरुवार को प्राधिकरण दिवस भी आयोजित हुआ जिसमें कुल पांच शिकायतें प्राप्त हुईं। इनके निस्तारण की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

डेली न्यूज 18/11/16

आधा दर्जन अवैध निर्माण ध्वस्त, दो बारातघर सील

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

इलाहाबाद।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को जोन एक में आधा दर्जन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही अवैध रूप से चल रहे दो बारातघरों को सील भी किया गया।

जोनल अधिकारी आलोक कुमार

एडीए का जोन एक में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान

पाण्डेय के नेतृत्व में जोन संख्या एक में अनाधिकृत निर्माणों एवं अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गयी। इसके अन्तर्गत नीम सराय आवास योजना के अन्तर्गत ईडब्ल्यूएस भूखण्ड संख्या 170,172,173 भूखण्डों पर निर्माण के अतिरिक्त अनाधिकृत रुप से प्राधिकरण के अन्य भूखण्डों पर बारजा बनाकर किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। इसके अलावा उक्त आवास योजना के फेज -2 में व्यावसायिक भूखण्डो पर लगभग पांच सौ वर्गमीटर में निर्मित बाउण्ड्रीवाल को तोड़कर प्राधिकरण की करोड़ो रुपये की सम्पत्ति का अतिक्रमण हटाया। प्राधिकरण दस्ते ने इसी योजना मे अवैध रूप से चल रहे दो बारातघर संगम पैलेस गेस्ट हाउस एवं राज गार्डेन को सील कर किया गया।

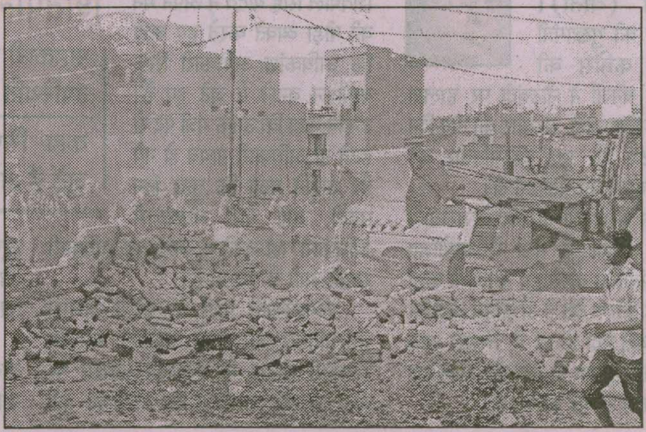

अवैध निर्माण ढहाता जेसीबी। फोटो : एसएनबी

अभियान में अवर अभियंता राज कुमार शर्मा, भवन निरीक्षक योगेंद्र राय, कुंवर आनंद सिंह, राजस्व सहायक रामाश्रय दुबे, स्थानीय पुलिस व एडीए प्रवर्तन दल मौजूद रहा।

प्राधिकरण दिवस मे आयी पांच शिकायतः एडीए के सभागार में 28वें प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें राजस्व से संबंधित तीन एवं भवन से संबंधित दो शिकायते प्राप्त हुई। जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अफसरों को निर्देश दिये।

राष्ट्रीय सहारा 18/11/16

नीम सराय में तीन मकानों की गिराई बालकनी

इलाहाबाद (ब्यूरो)। एडीए ने बृहस्पतिवार को नीम सराय आवास योजना में तीन ईब्ल्यूएस भवनों में अवैध रूप से बनी बालकनी ध्वस्त कराई। इसे लेकर हंगामा भी हुआ। दस्ते ने यहां एक व्यावसायिक प्लाट को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इसी योजना में दो अवैध बारातघर सील किए गए।धूमनगंज थाने की पुलिस के साथ जोनल अधिकारी आलोक पांडेय के नेतृत्व में एडीए दस्ता दिन में सुलेम सराय स्थित नीम सराय आवास योजना पहुंचा। यहां भूखंड संख्या 170, 172 एवं 173 पर निर्मित मकानों में अवैध रूप से बनी बालकनी गिराई गई। इस दौरान वहां काफी भीड़ जुट गई। मकानों में रहने वाली महिलाओं के साथ लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। एक मकान के मालिक राजेंद्र कनौजिया ने न्यायालय से स्थगनादेश होने के बावजूद बिना नोटिस दिए कार्रवाई का आरोप लगाया।

प्राधिकरण दिवस में आई पांच शिकायतें

इलाहाबाद (ब्यूरो)। एडीए में बृहस्पतिवार को आयोजित 28वें प्राधिकरण दिवस में राजस्व एवं भवन से संबंधित पांच शिकायतें दर्ज हुई। इन शिकायतों को निस्तारण के लिए संबंधित पटल पर भेजा गया।

अमर उजाला 18/11/16

आवास का बारजा तोड़ने का विरोध

इलाहाबाद। नीमसराय आवास योजना में तीन मकानों का बार्जा तोड़ने गए नगर निगम के दस्ते को विरोध का सामना करना पड़ा। पलिस ने ऑनलाइन एफआईआर से इनकार किया।

जोनल अधिकारी आलोक पांडेय के नेतृत्व में एडीए का दस्ता बार्जा तोड़ने के लिए जैसे आगे बढ़ा विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वाले तीन भवनस्वामियों का कहना था कि बार्जे का मामला न्यायालय में लंबित है।

दूसरी ओर एडीए बार्जे को अवैध होने का दावा किया। दस्ते के साथ गई पुलिस ने विरोध करने वालों को हटाया तो बार्जा तोड़ा जा सका। भवनस्वामियों का दावा था कि एडीए के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने ऑनलाइन एफआईआर से इनकार किया।

हिन्दुस्तान 18/11/16